

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबन्धी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातक स्तर पर नवीन संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
विद्या कला संस्कृति शिक्षा एवं ज्ञान कल्याण समिति, 2, वकील कॉलोनी, नियर एम.एल. सी राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा।	विद्या प्रोफेशनल एडवर्टीसिंग दयानन्द सरस्वती टेक्निकल कॉलेज, तेलीखेरा तिसड़ा, गोंव पालड़ी, पी.एस. चुवाना, पो.ओ. सांगानेर, भीलवाड़ा।	एडवर्टीसिंग दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय-दूरस्थ शिक्षा, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों को पालना आनेवाले रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विश्वविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताधारी प्राचार्य एवं छात्रसंघाध्यक्ष तथा निर्धारित मानकानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीटों में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगी।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से राख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aiche.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निशिक्ष सहयोगक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

2. निशिक्ष विभाग, राजस्थान, जयपुर।